



Neutral Citation No. - 2026:AHC:61919

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 10214 वर्ष 2026

मंगलदास पटेल

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता: विजय सिंह

प्रतिवादी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 67

माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल

1. हमने आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री विजय सिंह, प्रथम शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री मनोज कुमार पांडे (आज दाखिल की गई उपस्थिति के आधार पर) और राज्य के विद्वान ए.जी.ए. श्री अनुराग पांडे की दलीलें सुनीं और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2. यह जमानत याचिका आवेदक को मुकदमा अपराध संख्या 241/2025, धारा 191(2), 191(3), 103(1), 3(5), 115(2), 351(2), 352, 109(1) बीएनएस, पुलिस स्टेशन-सुजानगंज, जिला-जौनपुर में मुकदमे की सुनवाई के दौरान जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि एफआईआर में तीन नामजद व्यक्तियों और चार अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ आरोप लगाए गए हैं। एफआईआर में लगाए गए आरोपों के अनुसार, आवेदक सहित सभी आरोपी व्यक्तियों ने जमीन पर कब्जे को लेकर हुए विवाद में मृतक को पीटना शुरू कर दिया। जब परिवार के अन्य सदस्य मृतक को बचाने आए, तो उन्हें भी पीटा गया और उन्हें चोटें आईं। आगे यह भी कहा गया है कि मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देखने मात्र से ही यह स्पष्ट है कि उसे केवल सिर पर एक ही चोट लगी थी और उस चोट को पहुंचाने में किसी भी आरोपी व्यक्ति की कोई विशिष्ट भूमिका नहीं बताई गई है। आगे यह भी कहा गया है कि अनुराग को छोड़कर सभी घायलों को मामूली चोटें आई हैं, अनुराग को भी शरीर के किसी गैर-महत्वपूर्ण हिस्से पर चोट लगी है। आगे यह भी कहा गया है कि सह-आरोपी गोविंद पटेल और सचिन पटेल, प्रेम चंद पटेल और सोनू पटेल को पहले ही इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ द्वारा आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 2611/2026 और 38712/2025 दिनांक 27.01.2026 और 06.01.2026 के आदेशों के अनुसार मामले में जमानत पर रिहा किया जा चुका है। इसलिए, आवेदक समानता के आधार पर जमानत पर रिहा होने का हकदार है। इसके अलावा यह निवेदन किया जाता है कि आवेदक ने संलग्न हलफनामे में एक

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



मामले के आपराधिक इतिहास का विवरण दिया है। यह भी निवेदन किया जाता है कि इस मामले में आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है, इसलिए हिरासत में पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है। आवेदक कानून का पालन करने वाला नागरिक है और वह 3.09.2025 से जेल में बंद है। यदि उसे जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

4. इसके विपरीत, प्रथम शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत की प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया है, लेकिन वे उपर्युक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके।

5. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों और ध्यान में रखते हुए अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता और जेलों में अत्यधिक भीड़ और अवर न्यायालयों में आपराधिक मामलों के भारी लंबित होने को ध्यान में रखते हुए साथ ही सर्वोच्च न्यायालय के कपिल वधावन बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो मामले में दिए गए फैसले (2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 3038) के आदेश को ध्यान में रखते हुए, और मामले की खूबियों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं इस राय पर हूँ कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

6. उपर्युक्त अपराध में संलिप्त आवेदक **मंगलदास पटेल** को, उनके द्वारा एक निजी मुचलका और दो जमानती प्रस्तुत करने पर, प्रत्येक समान राशि के, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप, निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



- i. आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा, ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।
 - ii. आवेदक बिना किसी स्थगन का अनुरोध किए, ईमानदारी से मुकदमे/जांच में सहयोग करेगा।
 - iii. आवेदक जमानत पर रिहा होने के बाद किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा या कोई अपराध नहीं करेगा।
 - iv. आवेदक अपने द्वारा निष्पादित मुचलके की शर्तों के अनुसार उपस्थित होगा।
7. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन जमानत रद्द करने का आधार होगा।
8. जमानत स्वीकार किए जाने से पहले आवेदक और जमानतदारों की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाएगा।
9. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को इस आदेश की कंप्यूटर जनित प्रति के आधार पर रिहा किया जाएगा, जिसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किया गया है और संबंधित अधिवक्ता द्वारा सत्यापित किया गया है, साथ ही यह वचन भी दिया गया है कि प्रमाणित प्रति 15 दिनों के भीतर दाखिल कर दी जाएगी।

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



10. यह भी निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई आदेश भेजे, ताकि आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित हो सके।

11. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश की एक प्रति आवेदक को संबंधित जेल अधीक्षक के माध्यम से ई-मेल या ई-प्रिज़न पोर्टल के द्वारा भेजी जाए, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में, नीति जमानत देने की रणनीति, स्वतः संज्ञान रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 4/2021 के मामले में, दिनांक 31.01.2023 को निर्णय लिया गया, जो (2024) 10 एससीसी 685 में प्रकाशित हुआ है।

25 मार्च, 2026

एस. सी

(न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल)

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।